

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II)
PART II—Section 3—Sub-section (II)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 237] नई दिल्ली, बुधवार, मई 16, 1984/वैशाख 26, 1906
No. 237] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 16, 1984/VAISAKHA 26, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 16 मई, 1984

निर्यात व्यापार नियंत्रण

का. आ. 384(क)/सं. ई(सी) ओ, 1977/एएन (286) :—आयात तथा निर्यात
(नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों
का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार एतद्वारा निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977
में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश की रचना करती है,
अर्थात् :—

1. इस आदेश को निर्यात (नियंत्रण) 6वां संशोधन आदेश, 1984 की
संज्ञा दी जाए।

2. निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 में भाग "क", अनुसूची-1 में क्रम सं. 56(2) पर आई हुई वर्तमान प्रविष्टि को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

“अपरिष्कृत (बिना कटा हुआ और बिना सेट किया हुआ) कीमती पत्थर और क्रिस्टलाइन क्वार्ट्ज ।”

एमि. सं. 41(2)/83-ई. 21

प्रकाश चन्द जैन, मुख्य नियंत्रक,
आयात-निर्यात ।

MINISTRY OF COMMERCE

ORDER

New Delhi, the 16th May, 1984

EXPORT TRADE CONTROL

S.O. 384(E)/ No. E (C) O, 1977/AM (286) :— In exercise of the powers conferred by section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Exports (Control) Order, 1977, namely :—

1. This Order may be called the Exports (Control) Sixth Amendment Order, 1984.
2. In the Exports (Control) Order, 1977, in Part 'A' Schedule I the existing entry appearing at S.No. 56(ii) shall be substituted by the following :—

“Rough (uncut and unset) precious stones and crystalline Quartz”.

[F.No. 41 (2)/83/E-II]

P.C. JAIN,

Chief Controller of Imports and Exports